

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. Website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----/ नि०/रो०/ऋण/3-94/22

पटना,दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पोजित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-29.11.2022 से 07.12.2022 तक चयनित बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-533 दिनांक 28.12.2022 से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा किशनगंज जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर पुर्व में स्वीकृति आदेश संख्या 452 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा स्वीकृत दिया गया था। जो क्रमांक सं० 23 पर अंकित है। आवेदक को चयन सूची के अनुसार पाँच लाख रुपया अनुशंसित किया गया है। परन्तु टकण भुल वश प्यारी बेगम द्वारा समर्पित बैंक खाता में मात्र एक लाख रुपया ऋण की राशि खाता में अंतरित हो सका। आवेदिका के द्वारा शेष राशि मो० 400000/- रुपया भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः लाभुक को शेष राशि चार लाख उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT के द्वारा अंतरित करने हेतु संशोधित स्वीकृति दी जाती है।

Sl. No	चयन सूची क्र०सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	पुर्व में स्वीकृत ऋण राशि	वर्तमान में स्वीकृत ऋण राशि	Less 0.5% Processing	Net Payable Amount
1. 23	46	PIYARI BEGUM, C/o- MD USMAN, Vill.- PALASMANI, Block + PS + PO-BAHADUR GANJ, Distt.-KISHANGANJ- 855101, Mob:- 8002755120	A/c No.:- 4031990875, CBIN0281054	FURNITURE STORE	SO.NO- 452 DATE:- 03-02-2023 RS:-100000	400000	2000	398000
TOTAL AMOUNT:- 100000+400000=500000					TOTAL	400000	2000	398000

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए। किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-452 दिनांक 03.02.2022 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पतियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पतियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 20-03-2023

ज्ञापांक:- 797

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा /प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं आई० टी० मैनेजर को ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक